



The Madhya Pradesh State Right to Education (RTE) Portal (/Default.aspx)

🏠 (/Default.aspx)

RTE

RTE at Once

स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS)

होम (/SRMS/Default.aspx)

मान्यता आवेदन ()

रिपोर्ट ()

स्कूल मान्यता प्रबंधन प्रणाली (SRMS)

Applications

SHREE VAISHNAV ACADEMY_139601

शैक्षणिक वर्ष : 2022-23

स्कूल : SHREE VAISHNAV ACADEMY_139601

स्कूल का पता : SOUTH RAJMOHALLA INDORE

डाईस कोड : 23260100437

आवेदन दिनांक : 21 Jan 2022 02:44:00:000

स्कूल स्टेटस : BEO को प्रेषित (Feb 19 2022 9:13AM)

BEO स्टेटस : DEO को प्रेषित (Apr 7 2022 5:54PM)

मान्यता स्टेटस: Recognized (Apr 1 2022 12:00AM-Mar 31 2025 12:00AM)

स्कूल सम्बन्धी जानकारी

- ✓ (A) स्कूल विवरण (/SRMS/Application/School_Details.aspx?m=1)
- ✓ (B) स्कूल की सामान्य जानकारी (/SRMS/Application/School_Supplimentary_Details.aspx)
- ✓ (C) स्कूल के प्रकार एवं क्षेत्रफल का विवरण (/SRMS/Application/School_Nature_Area.aspx)
- ✓ (D) नामांकन एवं शुल्क का विवरण (/SRMS/Application/Enrollments.aspx)
- ✓ (E) स्कूल की अधोसंरचना का विवरण (/SRMS/Application/Infrastructures.aspx)
- ✓ (F) अन्य सुविधाएं (/SRMS/Application/Facilities.aspx)

शैक्षणिक एवं दस्तावेजों की जानकारी

- ✓ (G) शिक्षक की सामान्य जानकारी (/SRMS/Application/AddStaff.aspx)
- ✓ (H) पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम (/SRMS/Application/Curriculum_Syllabus.aspx)
- ✓ (I) अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा (/SRMS/Application/LimitofNeighborhood.aspx)
- ✓ (J) विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमणीकरण (/SRMS/Application/School_Certifications.aspx)

आवेदन

- ✓ लॉक किए गए आवेदन प्रारूप को प्रिंट करें (/SRMS/Application/View_Locked_Application_Details.aspx?SID=MTM5NjAx)

मान्यता संबंधी दस्तावेज

- ✓ मान्यता संबंधी दस्तावेज देखें (/SRMS/Application/Documents_Upload.aspx)


Madhya Pradesh State RTE Portal - Designed and Developed by NIC, School Education Department, Government of Madhya Pradesh. All Rights Reserved.

The System has been designed & developed by NIC as per the requirements of the department.

The system is operated by the concerned officials and officers of the department as per the Instructions/orders. Data, contents, processes are fully managed and updated by the department officials.

Server IP : 10.115.197.100

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक/261681927/स्कूल आई.डी. - 7575
प्रति,

दिनांक.- 17/05/2017

प्रबंधक,

(SHREE VAISHNAV ACADEMY)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके स्कूल -SHREE VAISHNAV ACADEMY, 177, SOUTH RAJMOHALLA INDORE को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बांधित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवंटों व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवंटों सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पर्योस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को प्रथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संवह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबी प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या नस्ल, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई योर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शिक्षक/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवट टैचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यधर्यों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं।

सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
8 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	130680	130680
9 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	58259	58259
10 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	72421	72421

अधोसंरचना का विवरण		पोर्टल में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
कक्षा	Rooms as per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		42	600	42	600
2 कार्यालय कक्षा-सह-भण्डार कक्षा-सह-प्रयोगशाला-कक्षा		5	205	5	205
3 श्रोतमाला-सह-भण्डार		4	1000	4	1000

अन्य सुविधाएं	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
1 क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हां	हां
2 पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हां	हां
4 पुस्तकों की संख्या	9069	9069
5 पत्रिकाएं/समाचार पत्र	15	15
6 पंचजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7 पंचजल सुविधा की संख्या	9	1
8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पाश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9 लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	14	14
10 लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4	4
11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	2
12 क्या अग्नि सुरक्षा योजना उपलब्ध है ? हां/नहीं	हां	हां

- संक्षेप संघरेखित किए जाएंगे तथा शार्टड एकाउन्टेड द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगे। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर, 261681927, एवं आईसाफ (DISE) 23280100437 है। इस कार्यालय के साथ संचार में यह कोड नाम संबद्ध किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जा अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- संसाधन/व्याज, यदि कोई हो, के प्रबंधन का जर्नीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

अवधीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला INDORE मध्य प्रदेश.